परिशिष्ट - एक
[19/2/2024]

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रश्न सं. [क्र. 1173]
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 44-04/2017/20-2

भोपाल, दिनांक 08.01.2024

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषयः-शीत लहर को दृष्टिगत रखते हुए शाला समय परिवर्तन बावत।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में शीतलहर एवं प्रतिकूल मौसम के दृष्टिगत शाला समय परिवर्तन के संबंध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.12.2023 के अनुकम में राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2024 तक के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित करता है:-

1.1 ऐसे समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय जो जल्दी सुबह से संचालित होते हैं वे प्रातः 10.00 बजे से संचालित होंगे।

1.2 दो पालियों में संचालित होने वाले शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय भी प्रातः 10.00 बजे से संचालित किंय जाएंगे।

1.3 ऐसे शासकीय विद्यालय जो प्रातः 10.30 से संचालित होते हैं, वे यथावत निर्धारित समय-सारणी अनुसार संचालित होंगे।

2/ कक्षा 6 से 12 वी तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

8/1/24

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 44-04/2017/20-2

भोपाल, दिनांक 08-01-2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/आदिवासी विकास/जनसंपर्क विभाग, म.प्र. भोपाल
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
8. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व), म.प्र.
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
10. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
11. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र,म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. आर्डर बुक

(आर.के.त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

8/1/2024

उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

::राकेश मुले::

परिशिष्ट - बी
45

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ–44–04/2017/20–2 भोपाल, दिनांक 27/12/2023

प्रति

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश

2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषयः– स्थानीय परिस्थिति, शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में शाला समय परिवर्तन बावत।

–::00::–

उपरोक्त विषंयातर्गत लेख है कि शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में अत्याधिक ठंड/गर्मी पड़ती है, जिस कारण से शाला समय में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। पूर्व में इस संबंध में जारी किये गये सभी निर्देशों को अधिकमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1/ शीतकाल में कम तापमान/शीतलहर/कोल्ड डे एवं गीष्मकाल में अधिक तापमान/हीट वेव की स्थिति में स्कूलों के समय में परिवर्तन संबधित आदेश स्वतः संज्ञान लेकर नही जारी किये जाए प्रथमतः विद्यालयों के प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों से चर्चा की जाये। आदेश जारी करने के पूर्व आयुक्त, लोक शिक्षण/संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र से सहमति ली जावे।

2/ स्कूलों को उक्त आशय के आदेश पालन करने हेतु कम से कम एक दिवस का समय दिया जाए, जिससे स्कूल एवं अभिभावक पर्याप्त व्यवस्था का समय मिल सके।

3/ शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5° से कम एवं ग्रीष्मकाल में 42° से अधिक रहने की संभावना पर प्री– प्रायमरी से 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने के संबध में जिला कलेक्टर निर्णय संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र से परामर्श उपरांत करेगे।

4/ अन्य अपरिहार्य परिस्थिति मे आयुक्त, लोक शिक्षण/संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र से सहमति प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा।

5/ राज्य स्तर से निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित होंगी।

इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर डीईओ/डीपीसी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

27/12/2023

(आर.के.त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ–44–04 / 2017 / 20–2 भोपाल, दिनांक 27/12/2023

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) मध्यप्रदेश
2. प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण / जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र भोपाल
5. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) म.प्र
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र
7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
8. आर्डर बुक

27/12/2023

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

(आर.के.त्रिवेदी)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग